S.No.	Name of the Scheme	Budget 1996-97	Allocations 1997-98
6.	Scheme for prohibition and Drug Abuse Prevention	14.66	17.66
7.	Assistance to Voluntary Organisations for disabled	16.70	23.70
8.	Assistance to Voluntary Organisations for Rehabilitation of Leprosy Cured Persons	01.90	01.50
9.	Assistance to Voluntary Organisations for Establishment & Development of Social Schools	00.50	02.50
10.	Cerebral Palsy and Mental Retardation	00.30	01.00
II.	Scheme of Assistance to Disabled for Purchase/fitting of aids and appliances	10.66	15.00
12.	Pre Examination Coaching Scheme for Weaker Sections based on economic criteria	01.31	—

(b) the number of villages covered under this Scheme in each State?

THE MINISTER- OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) and (b) Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Suggestion to lower the cut off date for identifying a person 'Senior Citizen

3954. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have been receiving suggestions to lower the cut off date for identifying a person 'Senior Citizen' and bring it down to 58/60 years;

(b) if so, the details thereof; and

fc) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIAj: Taj to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत त्रिपुरा में कार्यान्वित परियोजनायें

3955. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके कार्यालय के अन्तर्गत त्रिपुरा में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की संख्या कितनी है ;

(ख) इन परियोजनाओं की विशेषकर और उनके लिए दी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक परियोजना पर कितनी लागत आती है और इसमें राज्य सरकार का अंशदान कितना है ;

(घ) क्या निश्चित समय से पीछे चल रही परियोजनाओं के संबंध में कोई निर्धारण किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) एक विवरण सलंग्न है। (नीचे देखिए)।

(ग) प्रत्येक परियोजना की लागत और राज्य सरकार के अंशदान का निर्धारण इस योजना में परिकल्पित मानदंडों और दिशानिर्देशों द्वारा किया जाता है।

(घ) और (ङ) कोई विशेष समीक्षा नहीं की गई है। तथापि, परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्यों से राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा आवधिक मॉनिटरिंग और मूल्यांकन कार्य किए जाते हैं।

विवरण

त्रिपुरा में कार्यान्वित कल्याण योजनाएं

कल्याण मंत्रालय त्रिपुरा में कल्याण कार्यक्रमों से संभंधित विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए त्रिपुरा सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । वर्ष 1996-97 के दौरान त्रिपुरा

सरकार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशी इस प्रकार प्रदान की गई है :-

(रू. लाख में)

सरकार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशी इस प्रकार प्रदान की गई है :-

(रू. लाख में)

क्रम सं.	योजना का नाम	निर्मुक्त धनराशि
	अनुसूचित जनजाति विकास	
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	594.48
2.	अनुच्छेद 275(1)	93.75
3.	अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए पेंशन	34.04
4.	अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए होस्टल	31.41
5.	आश्रम स्कूल	93.46
	विकलांग कल्याण	
1.	सहायक यंत्र एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए योजना	6.00
	अनुसूचित जाति विकास	
1.	विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	72.54
2.	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	4.80
3.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति	शून्य
4.	मैट्रिकोत्तर छात्रवत्ति	29.34
5.	मैट्रिक पूर्व छत्रवृत्ति	शून्य
6.	लड़कियों के लिए होस्टल	8.65
7.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	1.65
8.	लड़कों के लिए होस्टल	12.00
9.	कोचिंग और सम्बद्ध योजना	0.78
10.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन	शून्य
11.	सिविल अधिकार संरक्षण और अत्याचार	शून्य
12.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	4.54

Elimination of the practice of carrying night soil by the People

3956. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Human Rights Commission and the National Commission for Safai Karamchari have decided to put together their efforts to eliminate the practice of carrying night soil by the people;

(b) whether these Commission have approached the Central Government to take concrete action for elimination of carrying night soil by the people; and

(c) whether Government have constituted any Committee comprising of Ministry of Welfare, kural Development and Urban Development to chalk out a joint strategy for abolition of carrying the night soil?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) No Sir.

Problems of linguistic minorities by Minorities Commission in its 33rd Report

3957. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the problems of the linguistic minorities pointed out by the Minorities Commission in its 33rd Report; and

(b) the action taken to find a solution to the problem?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) The Minorities Commission does not deal with the Linguistic Minorities for which a Special Officer is appointed in terms of Article 350 (B) of the Constitution. This Officer is designated as "Commissioner for Linguistic Minorities in India. The basic function of the Commissioner, as enjoined by Article 350 B (2) of the Constitution, is to investigate all matters